उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या– 412 –का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2025–10–का0वि0नी0/24 दिनांक 15 मई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

INCENTIVE POLICY FOR HIGHER EDUCATION

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :–

(1) कारपोरेशन द्वारा कार्मिकों को केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जो कार्मिकों को उनके कार्यक्षेत्र में कारपोरेशन के कार्यहित में उपयोगी बना सकें। इस हेतु निम्नलिखित तकनीकी, प्रबंधकीय एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को समग्रता में विचारोपरान्त प्रायोजित किया जायेगा :–

S.R.	Technical Programmes	Management Programmes	Professional Programmes
1.	M.Tech (Electrical)	M.B.A. / P.G.D.M. (Finance)	C.M.A.
2.	M.Tech (Electronics & Communication Engineering)	M.B.A. / P.G.D.M. (H.R.)	C.S.
3.	M.Tech (Computer Science & Information Technology)	M.B.A./P.G.D.M. (Power / Energy Management)	–
4.	M.Tech (Power and Energy System) or Related Fields	M.B.A. / P.G.D.M. (Energy Audit)	–
5.	Ph.D. in above Mentioned Subjects or Similar / Related Fields	–	–

(2) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत National Institutional Ranking Framework (N.I.R.F.) द्वारा Engineering & Management के पाठ्यक्रमों हेतु निर्गत अद्यतन प्रकाशित सूची (Latest published List) के सरकारी/निजी शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) की धनराशि को प्रायोजित किया जायेगा। प्रोत्साहन नीति में N.I.R.F. द्वारा Engineering एवं Management के पाठ्यक्रमों हेतु जारी पृथक–पृथक सूचियों में टॉप–50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के नियमित कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा।

N.I.R.F. में सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में C.A. / C.M.A. / C.F.A. व C.S. के पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण प्रस्तावित उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु N.I.R.F. में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

(3)(i) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) अथवा अधिकतम रु० 20 लाख, जो भी कम हो, को प्रायोजित किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम विशेष हेतु संस्थान में यदि समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) रु० 20 लाख से अधिक देय है, तो ऐसी स्थिति में कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

(क्रमशः . . . 2)

(iv) कार्मिकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहन (Incentive) योजना का लाभ एक बार ही प्रदान किया जायेगा।

(v) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत प्रायोजित किये गये कारपोरेशन कार्मिकों को अध्ययन अवधि में ड्यूटी पर मानते हुए नियमानुसार वेतन देय होगा। इस नीति के तहत् अध्ययन अवधि को पदोन्नति, ए0सी0पी0 एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vi) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत अध्ययन कार्यक्रम में कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन Zone of Consideration के अन्तिम वर्ष से एक वर्ष पहले की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0 1380–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/24–12–काविनी/24 दिनांक 26.12.2024 एवं तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत होने वाले अन्य संशोधनों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा।

(vii) प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कार्मिकों को तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यवसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थानों में आवेदन करने तथा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजकता (Sponsorship) हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन उचित माध्यम से संयुक्त सचिव (ज0श0 प्रशि0 एवं कार्य) को प्रेषित किये जायेंगे। प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(viii) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित कार्मिकों को अध्ययन पर गमन से पूर्व रु० 100/– मूल्य के नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र (अनुबन्ध/बॉण्ड) देना होगा कि वह प्रश्नगत अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगमों में कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(ix) उपरोक्त बिन्दु–**(viii)** में उल्लिखित 05 वर्ष की अवधि में कार्मिक को किसी भी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थानों में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) निर्गत नहीं किये जायेंगे। किन्तु यदि कार्मिक उपरोक्त निर्धारित 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति हेतु इच्छुक होगा, तो ऐसी स्थिति में उसे कारपोरेशन की सेवा से निःशर्त त्याग–पत्र देना होगा एवं उच्च शिक्षा हेतु कारपोरेशन द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के संगत खाते में जमा करनी होगी, तदुपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) निर्गत करने हेतु प्रकरण को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत प्रायोजित कार्मिक अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि कारपोरेशन की सेवा से पदच्युत किया जाता है तो ऐसी दशा में उच्च शिक्षा हेतु कारपोरेशन द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक से वसूल किया जायेगा।

(xi) उक्त के क्रम में प्रायोजित किये गये कार्मिक यदि शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी भी पारिवारिक/अन्य कारणों से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कारपोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा हेतु व्यय की गई कुल धनराशि की वसूली भी सम्बन्धित कार्मिक से की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

(क्रमशः . . . 4)

<u>संख्याः 412 (I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2025 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

15/5/25

(डा0 आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष